न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2019
जीसीएमएस नम्बर : 2019/00004

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. मंजु पुत्री पुनाराम जी जाति मेघवाल, निवासी–गांव खैरवा, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी 137, राजेन्द्र नगर विस्तार, पाली, जिला पाली		1. सरपंच, ग्राम पंचायत खैरवा, पंचायत समिति पाली। 2. रमेशराम पुत्र रताराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम खैरवा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता मांगीलाल प्रजापत
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी

–: निर्णय :–

दिनांक : 21-10-20

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम खैरवा की मिसल संख्या 26/2014–15, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.07.2014 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 26 दिनांक 08.10.2014 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थिया मंजु पुत्री पुनाराम पुत्र डुंगाराम का एक मकान मेघवालो के बास में स्थित है, जिसका पट्टा संख्या 2858 दिनांक 05.06.2002, प्रस्ताव संख्या 2/4 दिनांक 05.06.2002 की पालना में उसके पिता पुनाराम के नाम जारी किया गया था। प्रार्थिया अपने पिता की एकमात्र जाइन्दा पुत्री है तथा वर्तमान में अपने ससुराल में निवासरत है, लेकिन समय–समय पर अपने मकान की देखभाल करने हेतु गांव आती रहती है तथा उसने लाखों रूपये लगाकर पक्का मकान का निर्माण कराया है, जिसका कब्जा प्रार्थिया के पास है। उसके पिता का दिनांक 23.11.2014 को देहान्त हो गया तथा प्रार्थिया ही उनकी एकमात्र जीवित वारिस है। उसके पिता के भाई रताराम (प्रार्थिया के काका) के पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 रमेशराम ने ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए, प्रार्थियां के पिता के पट्टासुद मकान का दुसरा पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.10.2014 गैर कानूनी रूप से अपने नाम जारी करवा दिया। उक्त विक्रय विलेख के संबंध में ग्राम पंचायत में न तो नियम 145 में आवेदन किया गया, न ही नियम 147 के तहत सचिव ने कोई मौका देखा, न ही को नक्शा पेश किया गया, न ही किसी आपत्ति इस्तिहार जारी किया गया। ग्राम पंचायत को किसी भूमि का एकबार पट्टा जारी होने के पश्चात उक्त भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:35:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख एवं प्रस्ताव को खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल कायम करते हुए तीन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने मौका निरीक्षण कर नक्शा तैयार किया गया, इसके पश्चात आपत्ति इस्तिहार जारी किया गया, जिसे रूबरू मौतबिरानों के चस्पा किया गया एवं स्वतंत्र गवाहों के बयान अंकित किए गए। इसके पश्चात विधिवत विक्रय विलेख जारी किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही पंचायत की मिसल में उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या 2 उक्त मकान पर काबिज है व उसका रहवास है। उसने वर्ष 2014 से पूर्व विद्युत कनेक्शन एवं पानी का कनेक्शन भी ले रखा है। प्रार्थिया अपने ससुराल रहती है तथा हितबद्ध पक्षकार नहीं है। पुनाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने भतीजे निर्मल कुमार को गोद ले लिया था और निर्मल कुमार उसका पुत्र है। इसलिए निगरानी करने का हक प्रार्थिया का नहीं है। प्रार्थिया के पिता ने एक फर्जी विक्रय विलेख जारी करवा दिया। जिसके आधार पर प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 2 के मकान को हड़पना चाह रही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी के पिता पुनाराम के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 2858 दिनांक 05.06.2020 को जारी किया गया है, उसी जमीन का पुनः ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.10.2014 को जारी कर दिया। दोनों पट्टों के संबंध में रेकर्ड का अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया कि दोनों पट्टों के पड़ौस समान है तथा भुजाएं भी लगभग समान है। इससे स्पष्ट है कि दोनों पट्टे एक ही भूखण्ड/मकान के जारी किए गए है तथा एक पट्टे के स्थाईत्व में होते हुए, दुसरा पट्टा उसी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने कथन किया कि प्रार्थिया हितबद्ध पक्षकार नहीं है तथा उसे निगरानी पेश करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के पिता ने पूर्व में अपने भतीजे निर्मल कुमार को गोद ले लिया था तथा वही उनका पुत्र है तथा हितबद्ध पक्षकार भी वही है। लेकिन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे की यह साबित हो की निर्मल कुमार प्रार्थी का पुत्र है, साथ पत्रावली संलग्न जमाबन्दी से स्पष्ट है कि पुनाराम के देहान्त के पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण उनकी पुत्री प्रार्थिया मंजु के नाम दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख से उसके हित प्रभावित होते है तथा वह हितबद्ध पक्षकार है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] है कि सिविल वाद में जैर निगरानी मकान पर अप्रार्थी संख्या [illegible] में यहां स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय [illegible] पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:35:22 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

97 के तहत पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य एवं नियमितता के संबंध में जांच करनी है, न की किसी के हक अधिकार तय करने है। अतः उक्त अनुतोष अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तगत निगरानी से प्राप्त नहीं हो सकते है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम खैरवा की मिसल संख्या 26/2014–15, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.07.2014 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 26 दिनांक 08.10.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21-10-20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:35:22 IST
Reason: SelfAttested